



2026:AHC:62305

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम ज़मानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत - क्रमांक 1954 / 2026

कृष्ण कुमार दीक्षित और 3 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता	: के.के. राव, संतोष कुमार पांडे, सर्वजीत सिंह चौहान
विपक्षी के अधिवक्ता	: आशीष कुमार, जीए, गौरांग कुलश्रेष्ठ

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा

1. प्रारंभ में ही, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक क्रमांक 1 कृष्ण कुमार दीक्षित को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और आवेदक क्रमांक 1 से संबंधित यह आवेदन निरर्थक हो गया है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। अब आवेदक क्रमांक 2, 3 और 4 के लिए यह आवेदन मान्य है।
2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री के.के. राव और राज्य के विद्वान एजीए श्री बी.पी. सिंह की दलीलें सुनी गईं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। हालांकि, शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. 18.03.2026 को इस मामले पर सुनवाई हुई और इसे 20.03.2026 को शीर्ष बीस मामलों में नए सिरे से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. यह आवेदन शिकायत मामले संख्या 3014/2024 (हिमकार तिवारी बनाम जगन पाठक और अन्य) में आईपीसी की धारा 420, 120बी, 467, 468 और 471 के तहत पुलिस स्टेशन-महावन, जिला-मथुरा में माननीय सिविल जज (एसडी), एफटीसी/एसीजेएम, मथुरा के समक्ष लंबित मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

5. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि दीवानी विवाद को आपराधिक रंग दिया गया है और आवेदकों के विरुद्ध लगाए गए कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। आगे यह भी कहा गया है कि यह मामला चुनाव और प्रशासन से संबंधित विवाद से जुड़ा है। प्रबंधन समिति की ओर से यह भी निवेदन किया गया कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करेंगे और जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होंगे। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदकों को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

6. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है।

7. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

8. इस मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

9. अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है।

10. उपरोक्त मामले में अपराध के लिए अभियोक्ता संख्या 2, 3 और 4, अर्थात् जगन पाठक, सुदर्शन शर्मा और राम कुमार की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर निम्नलिखित शर्तों के साथ रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे छूट न दी गई हो;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ सकता है।

11. यदि इनमें से किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

20 मार्च, 2026

एसवाई

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।